प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 03.08.2024

थाना लोनी पुलिस द्वारा धोखाधड़ी करके कार चोरी कर ले जाने वाले अभियुक्त (पति-पत्नी) गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की कार व घटना में प्रयुक्त चोरी की मोटरसाइकिल बरामद ।

दिनांक 25.07.2024 को वादी श्री संजय तौमर पुत्र प्रेमचंद तौमर निवासी खेकड़ा थाना खेकड़ा जनपद बागपत ने थाना लोनी पर एक अज्ञात पुरूष व महिला द्वारा वादी की ब्रेजा कार को खरीदने को कहकर ट्राई लेने के बहाने बेईमानी व धोखाधड़ी करके चोरी कर ले जाने के सम्बध में लिखित तहरीर दी गयी। जिसमें थाना लोनी पुलिस द्वारा वादी की तहरीर पर तत्काल कार्यवाही करते हुए अज्ञात महिला व पुरूष के विरूद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम गठित की गयी।

तत्पश्चात दिनांक 02-08-2024 को थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान चौकी क्षेत्र बंथला के पास से घटना कारित करने वाले अभियुक्त 1.यतेन्द्र पुत्र ब्रहमपाल निवासी -गली न0-5 इस्माइलपुर, बाला जी मेरिज होम के पास थाना पाल्ला फरिदाबाद हरियाणा, मूल निवासी - ग्राम भगोट थाना चांदी नगर जिला बागपत उम्र करीब 32 वर्ष 2. महिला अभियुक्ता रश्मि पत्नी यतेन्द्र निवासी गली न0-5 इस्माइलपुर, बाला जी मेरिज होम के पास थाना- पाल्ला फरिदाबाद हरियाणा मूल नि0- ग्राम भगोट थाना -चांदी नगर जिला बागपत उम्र करीब 30 वर्ष को गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से चोरी की गयी ब्रेजा कार व घटना में प्रयुक्त दिल्ली से चोरी की मोटरसाइकिल बरामद हुई, इन दोनों के द्वारा पूर्व में की गई अन्य घटनाओं के बारे में जानकारी की जा रही है। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण

पूछताछ के दौरान बताया कि हम दोनों पति-पत्नी मिलकर वाहन चोरी करते हैं। साथ में महिला होने के कारण हम आसानी से वारदात को अंजाम दे देते है। हम दोनों ने करीब एक सप्ताह पहले बंथला थाना लोनी क्षेत्र से पुरानी कार खरीदने बेचने वाले से गाड़ी की ट्राई लेने के लिए कहकर एक लाल रंग की ब्रेजा कार धोखाधड़ी करके चोरी कर भाग गये थे। जिसे हम जल्दी सस्ते दामों में बेचकर अपने शौक पूरे करते तथा जो यह बिना नम्बर प्लेट की मोटरसाइकिल हमसे मिली है, यह मोटरसाइकिल मैंने व मेरी पत्नी रश्मि ने करीब एक माह पहले बदरपुर दिल्ली से चोरी की थी। इसी मोटरसाइकिल से हमने कार चोरी की घटना को अंजाम दिया था। हम दोनों फिर से चोरी की घटना को अंजाम देने के लिए घूम रहे थे कि पुलिस चेकिंग में पकड़े गए।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम/पता

1. यतेन्द्र पुत्र ब्रहमपाल निवासी-गली न0-5 इस्माइलपुर, बाला जी मेरिज होम के पास थाना पाल्ला फरिदाबाद हरियाणा, मूल निवासी - ग्राम भगोट थाना चांदी नगर जिला बागपत उम्र करीब 32 वर्ष,
2. महिला अभियुक्ता रश्मि पत्नी यतेन्द्र निवासी गली न0-5 इस्माइलपुर, बाला जी मेरिज होम के पास थाना- पाल्ला फरिदाबाद हरियाणा मूल निवासी - ग्राम भगोट थाना -चांदी नगर जिला बागपत उम्र करीब 30 वर्ष

अपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग

1. थाना लोनी पर अभियुक्तों के विरूद्ध धोखाधड़ी, वाहन चोरी बरामदगी के पंजीकृत अभियोग की संख्या-02
2. दिल्ली के एमवी थैप्ट क्राइम ब्रांच दिल्ली में वाहन चोरी के पंजीकृत अभियोग की संख्या-01

बरामदगी का विवरण

1. चोरी की एक कार ब्रेजा 2. घटना में प्रयुक्त चोरी की एक मोटरसाइकिल बिना नम्बर प्लेट बरामद।

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली टीम............ थाना लोनी पुलिस टीम

क्राइम ब्रान्च द्वारा मोबाइल टावरों के उपकरण चोरी करने वाले अन्तर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश, 07 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी का करीब 01 करोड रूपये का माल व चोरी करने मे प्रयुक्त वाहन बरामद

दिनाँक-03/08/2024 को क्राइम ब्रांच पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा गाजियाबाद, दिल्ली एन0सी0आर , पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, बिहार, महाराष्ट्र, पंजाब व मध्यप्रदेश में मोबाइल टावरों से आर0आर0 यूनिट, बैट्री व अन्य इलैक्ट्रानिक डिवाईस चोरी करने वाले शातिर अपराधियों के अन्तर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 07 अभियुक्तों को थाना वेव सिटी क्षेत्र से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की गयी है गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से मोबाइल टावरो से रेडियो रिसीवर यूनिट, मोबाइल टावरों की बैट्रियाँ तथा घटना मे प्रयुक्त स्विफ्ट कार व टाटा एसीई (छोटा हाथी) बरामद हुआ है।

पूछताछ का विवरण- पूछताछ पर पकडे गये शातिर अभियुक्त मोहसिन मलिक ने बताया कि वह अनपढ है और 03 वर्ष पहले उसे रायपुर छत्तीसगढ से कबाडी की फेरी का काम शुरू किया पर ज्यादा फायदा न होने के कारण करीब 01 वर्ष पूर्व वह वहाँ से छोडकर आ गया इसका बहनोई शाहिद आर0आर0यू0 का काम करता था उसने इसे भी यही काम करने को कहा क्योकि इसमे फायदा बहुत ज्यादा था और उसने कई चोरों एवं कबाडियों से उसे मिलवा दिया जिसके बाद से यह काम करने लगा। पकडे गये अभियुक्त सरफराज ने पूछने पर बताया कि वह 7वीं पढा हुआ है तथा वर्ष 2013 में अपनी रिश्तेदारी में फरीदाबाद मे कबाडी की दुकान पर काम करता था 02 वर्ष बाद वहाँ से छोडकर पंजाब अपने बडे भाई के पास मोगा चला गया काफी मेहनत करने के बाद भी ज्यादा फायदा नही होता था फिर उसका सम्पर्क शाहिद कबाडी से हुआ शाहिद ने उसे अपने साले मोहसिन से मिलवा दिया तभी से वह इस काम मे आ गया। पकडे गये तीसरे अभियुक्त अनस मलिक ने बताया कि वह अनपढ है तथा वर्ष 2021 में थाना नौचन्दी मेरठ से हत्या के प्रयास मे जेल चला गया था जेल से छूटने के बाद वह अपने पिता के साथ अहमदनगर महाराष्ट्र मे कपडे की दुकान पर काम करने लगा पहन्तु वहाँ से छोडकर वापस अपने घर आ गया उसकी मुलाकात सलमान और राजा उर्फ अकरम से हुई और उनके साथ आर0आर0यू0 चोरी करने का काम शुरू कर दिया। चौथा अभियुक्त सलमान ने बताया कि वह 10वीं पास है पढाई छोडने के बाद वह अपने पिता के साथ कबाडी की दुकान पर बैठने लगा जहाँ पर उसे अनस मिला जिसने उसे आर0आर0यू0 चोरी करने व बेचने में काफी फायदे होने की बा कही तभी से वो इस काम को करने लगा। पाँचवें अभियुक्त शादाब मलिक ने पूछने पर बताया कि वह 11वीं तक पढा है वह काफी समय पहले से आर0आर0यू0 चोरी का काम करता है और पूर्व मे भी बागपत से जेल जा चुका है। छठें अभियुक्त अकरम मलिक उर्फ राजा ने पूछने पर बताया कि वह छठीं तक पढा है करीब 01 साल से वह जावेद मीरापुरिया (चचेरा भाई) के साथ उसके गोदाम पर आर0आर0यू0 का काम करता था पिछली बार छापा पडा तो मेरठ भाग गया था फिर उसके बाद अकरम उर्फ राजा ने मोहसिन, सरफराज, अनस, सलमान, शादाब, शाकिब उर्फ राजा, अमन, अज्जू, हातिम, शाहिद, दिलशाद उर्फ दिल्लू, हसन, नूर उर्फ नूरू, अय्यूब व सोनू उर्फ कृपाल के साथ मिलकर आर0आर0यू चोरी करने व खरीदने बेचने का काम करने लगा। पकडे गये सातवें अभियुक्त शाकिब मलिक उर्फ राजा ने बताया कि वह अनपढ है उसके पिता राज मिस्त्री का काम करते थे वह जावेद मीरापुरिया का चचेरा भाई है इसके पिता पहले आर0आर0यू0 का काम करने लगे तथा नोएडा से जेल गये थे उसके बाद शाकिब भी अपने चचेरे भाई अकरम उर्फ राजा व अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर ये काम करने लगा।

सभी अभियुक्तों ने पूछने पर बताया पिछले कुछ वर्षों से मोबाइल टावरों की बैट्री, रेडियो रिसीवर यूनिट व अन्य इलैक्ट्रोनिक डिवाईस की चोर बजारी में काफी माँग चल रही है मोबाइल टावरों पर लगे उपकरण काफी मँहगे होते है और इनको चुराना काफी आसान होता है और इसकों ट्रॉन्सपोर्ट करने में कोई समझ भी नही पाता हैं कि यह क्या है। पहले हम लोग अलग-अलग आर0आर0यू0 की चोरी करते व बेचते थे, फिर हमनें मिलकर अपना एक संगठित गिरोह बना लिया । हमारे गिरोह मे मोहसिन, सरफराज, अनस, राजा उर्फ अकरम, राजा उर्फ शाकिब, शादाब, सलमान, अज्जू, अमन, दिल्लू उर्फ दिलशाद, सोनू उर्फ कृपाल, हातिम, शाहिद, नूर उर्फ नूरू, अय्यूब व हसन शामिल हैं। हमारे गिरोह के सोनू उर्फ कृपाल जो पंजाब का रहने वाला है वह टावर की कम्पनी मे टैक्नीशियन का काम करता है और आर0आर0यू0 व अन्य मोबाइल टावर उपकरण के बारे मे बताता है व चोरी मे सहयोग करता है। गिरोह के अन्य सदस्य दिन में कबाडे की फेरी करके कबाडे का काम करते है और जिस मोबाइल टावर से इनको चोरी करनी होती है उसको ये लोग दिन के समय ही कबाडे की फेरी करते हुए चिन्हित कर लेते है घटना स्थल

पर जाने के लिए गाडी का इन्तजाम अमन करता है रात्रि के समय मे उस गाडी से ये लोग चिन्हित किये गये टावर पर पहुँच जाते है और इनके दो-तीन साथी मोबाइल टावर पर चढ जाते है और औजारों की मदद से उसमे लगे रेडियो रिसिवर यूनिट, बैट्री व अन्य कीमती उपकरण चोरी कर लेते है, चोरी करने के बाद चोरी किया सामान ये लोग उसी गाडी मे रखकर फरार हो जाते है। सोनू उर्फ कृपाल इन लोगो को सभी उपकरणों के बारे मे बताता है कि कौन सा उपकरण क्या है और कितना मँहगा है । चोरी किये गये माल को बेचने के लिए मोहसिन, सरफराज, अनस, अकरम उर्फ राजा उस माल को दिल्लू उर्फ दिलशाद, शाहिद, नूर उर्फ नूरू व हसन को पहुँचाते है । माल बेचने के बाद जो रूपये मिलते है उसको ये लोग आपस मे बाँट लेते है। माल को इकट्ठा होने बाद गाडी का इन्तजाम दिल्लू उर्फ दिलशाद व हसन करते हैं अपने-अपने हिस्से मे आये रूपयो से ये लोग अपने शौक व खर्चे पूरे करते है ।

पूछताछ करने पर पकडे गये अपराधियों ने यह भी बताया कि इन लोगो ने पंजाब, राजस्थान, पश्चिमी बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, गाजियाबाद, नोएडा दिल्ली एन0सी0आर0 व पश्चिमी उत्तर प्रदेश मे कई स्थानों पर मोबाइल टावरो से रेडियो रिसिवर यूनिट, बैट्री व अन्य कीमती उपकरण चोरी किये है । पूछताछ पर मोबाइल टावरो से रेडियो रिसीवर यूनिट, बैट्री व अन्य कीमती उपकरण चोरी करने वाले अन्य अपराधियों के सम्बन्ध में कई महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिली हैं। जिसके आधार पर टीमें बनाकर माल बरामदगी व गिरफ्तारी हेतु दबिशें दी जा रही हैं। निश्चित रूप से इस प्रकार की पुलिस कार्यवाही से पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद व आस-पास के क्षेत्रों में मोबाइल टावरों से रेडियो रिसिवर यूनिट, बैट्री व अन्य कीमती उपकरणों की चोरी पर रोक लगेगी।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-</u>

1.मोहसिन पुत्र यासीन निवासी वसीम के बेसमेन्ट के पास हुमायूनगर थाना लिसाडीगेट मेरठ उम्र करीब 26 वर्ष (कबाडी)

2.सरफराज पुत्र हबीब निवासी ग्राम भैंसा थाना मवाना जनपद-मेरठ हाल पता-फौजी का मकान के0एम0पी0 बस्ती मोगा थाना मोगा जनपद-मोगा पंजाब उम्र करीब 29 वर्ष (कबाडी)

3.अनस पुत्र मंजूर निवासी वसीम के बेसमेन्ट के पास हुमायूनगर थाना लिसाडीगेट मेरठ उम्र करीब 22 वर्ष (चोर)

4.सलमान पुत्र अलीमुद्दीन निवासी म0न0-859/7 गली न0-13 काँच का पुल अहमदनगर थाना लिसाडीगेट जनपद-मेरठ उम्र करीब 20 वर्ष (चोर)

5.शादाब पुत्र मुस्ताक निवासी हयात मस्जिद के पास आजाद इन्कलेव पूजा कालोनी थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद उम्र करीब 34 वर्ष (चोर)

6.अकरम उर्फ राजा पुत्र शमशाद मलिक निवासी हकीमुद्दीन मस्जिद के पास हुमायूनगर थाना लोहियानगर मेरठ उम्र करीब 19 (कबाडी)

7.शाकिब उर्फ राजा पुत्र इरशाद निवासी मौहल्ला दरबार कस्बा व थाना मीरापुर जनपद-मुजफ्फरनगर हाल पता म0न0-297 गली न0-1 भागीरथी विहार मुस्तफाबाद थाना गोकलपुरी दिल्ली उम्र करीब 26 वर्ष (चोर)

<u>अभियुक्तगण से बरामदगी का विवरण –</u>

1.मोबाइल टावर की रेडियो रिसिवर यूनिट-20 अदद

2.मोबाइल टावर बैट्री -01 अदद

3.घटना करने प्रयुक्त स्विफ्ट कार रंग लाल बिना नम्बर – 01 अदद

4. घटना करने प्रयुक्त टाटा एसीई (छोटा हाथी) नम्बर-DL 1LAE 9167 – 01 अदद

<u>आपराधिक इतिहास-</u>

1.अभियुक्त मोहसिन के विरूद्ध पंजाब में 02, मेरठ मे 01 व गाजियाबाद मे 01 कुल 04 मे अभियोग पंजीकृत है।

2.अभियुक्त सरफराज के विरूद्ध पंजाब में 01 व गाजियाबाद मे 02 कुल 03 मे अभियोग पंजीकृत है।

3.अभियुक्त अनस के विरूद्ध पंजाब में 03, मेरठ मे 04 व गाजियाबाद मे 03 कुल 10 मे अभियोग पंजीकृत है।

4.अभियुक्त सलमान के विरूद्ध पंजाब में 02, गाजियाबाद मे 01 कुल 03 मे अभियोग पंजीकृत है।

5.अभियुक्त शादाब के विरूद्ध बागपत मे 03, पंजाब में 01 व गाजियाबाद मे 02 कुल 06 मे अभियोग पंजीकृत है।

6.अभियुक्त अकरम उर्फ राजा के विरूद्ध पंजाब में 02 व गाजियाबाद मे 01 कुल 03 मे अभियोग पंजीकृत है।

7.अभियुक्त शाकिब उर्फ राजा के विरूद्ध पंजाब में 02 व गाजियाबाद मे 01 कुल 03 मे अभियोग पंजीकृत है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

क्राइम ब्रान्च, पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद

थाना वेव सिटी पुलिस टीम

थाना लिंक रोड़ पुलिस टीम द्वारा 03 लूटेरे गिरफ्तार, कब्जे से लूट से सम्बन्धित 1400/- रूपये व घटना में प्रयुक्त विक्रम ऑटो रिक्शा बरामद।

दिनांक 27.07.2024 को थाना लिंक रोड़ पर वादी श्री कैलाश बिष्ट पुत्र स्व0 श्री आलम सिंह बिष्ट निवासी एस-14 एम-8 मंगलम सोसाइटी इन्दिरापुरम द्वारा लिखित तहरीर दी और बताया कि विक्रम ऑटो रिक्शा में बैठे 04 व्यक्तियों द्वारा वादी के साथ लूट की घटना कारित की गई थी। जिसके सम्बन्ध में थाना लिंक रोड़ पर अभियोग पंजीकृत किया गया था। घटना को गम्भीरता से लेते हुए थाना लिंक रोड़ पुलिस टीम द्वारा दिनांक 02.08.2024 को चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पर घटना में संलिप्त अभियुक्तगण 1. रिजवान पुत्र इस्लाम निवासी नूरी मस्जिद के पास इस्लामनगर थाना व कस्बा खटीमा टनकपुर उत्तराखण्ड ,हाल पता निवासी ग्राम चिरौडी ईदगाह थाना लोनी गाजियबाद उम्र 20 वर्ष। 2. शाहिद उर्फ विलाटू पुत्र मसीउल्ला निवासी छतरी चौराहा मौहल्ला हाथी खाना थाना सुन्नगढी जिला पीलीभीत, हाल निवासी प्रहलादगढी त्यागी पेट्रोल पम्प इन्दिरापुरम गाजियाबाद उम्र 23 वर्ष। 3. सलमान उर्फ लाखन पुत्र इस्लामुद्दीन निवासी हिडंन विहार बाला जी मंदिर वाली गली थाना नन्दग्राम गाजियाबाद उम्र 20 वर्ष को टी पॉइन्ट ग्राम महाराजपुर से गिरफ्तार किया गया और कब्जे से लूट से सम्बन्धित 1400/- रूपये व घटना में प्रयुक्त विक्रम ऑटो रिक्शा बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण

गिरफ्तार अभियुक्तगण ने पूछताछ में बताया कि दिनांक 11.07.2024 की रात्रि में कौशाम्बी मैट्रो स्टेशन के सामने से एक व्यक्ति को बैठाया था। जिसे हम हाईवे से होते हुए ग्राम बमेटा के जंगल में ले गये थे। वहाँ हमने उसका मोबाइल सैमसंग कम्पनी का व 2500/- रूपये छीन लिये थे। पैसे छीनते समय उसका सर ऑटो रिक्शा में लग गया था। जिससे उस व्यक्ति के सिर में पीछे की तरफ चोट भी लग गई थी। जो ऑटो रिक्शा हम आज लेकर आये है। इसी ऑटो रिक्शा से हमने लूटपाट की थी । मोबइल हमने चलते फिरते व्यक्ति को 1500/- रूपये़ मे बेच दिया था। उस व्यक्ति का नाम व पता हमें मालूम नहीं है। हम तीनों लोगों ने 4000/- रूपये बराबर-बराबर बाँट लिये थे। जो रूपये आज हमसे बरामद हुए हैं। ये उन्ही मोबाइल व लूट के पैसो में से बचे हुए हैं। शेष रूपये हमने नशा करने में खर्च कर दिये। हम लोग अपनी गुजर बसर के लिए लूट व चोरी करते हैं।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता

1. रिजवान पुत्र इस्लाम निवासी नूरी मस्जिद के पास इस्लामनगर थाना व कस्बा खटीमा टनकपुर उत्तराखण्ड ,हाल पता निवासी ग्राम चिरौडी ईदगाह थाना लोनी गाजियबाद उम्र 20 वर्ष।

2. शाहिद उर्फ विलाटू पुत्र मसीउल्ला निवासी छतरी चौराहा मौहल्ला हाथी खाना थाना सुन्नगढी जिला पीलीभीत, हाल निवासी प्रहलादगढी त्यागी पेट्रोल पम्प इन्दिरापुरम गाजियाबाद उम्र 23 वर्ष।
3. सलमान उर्फ लाखन पुत्र इस्लामुद्दीन निवासी हिडंन विहार बाला जी मंदिर वाली गली थाना नन्दग्राम गाजियाबाद उम्र 20 वर्ष।

<u>बरामदगी का विवरण</u>

- लूट से सम्बन्धित 1400/- रूपये व घटना में प्रयुक्त विक्रम (ऑटो) बरामद।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहास</u>

- गिरफ्तार अभियुक्त रिजवान पुत्र इस्लाम उपरोक्त के विरुद्ध थाना लिंक रोड़ पर लूट के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है।
- गिरफ्तार अभियुक्त शाहिद उर्फ विलाटू पुत्र मसीउल्ला उपरोक्त के विरुद्ध थाना लिंक रोड़ पर लूट व गैंगेस्टर एक्ट से सम्बन्धित 02 अभियोग, थाना सिहानी गेट पर लूट, चोरी, गैंगेस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट व आबकारी अधिनियम से सम्बन्धित 05 अभियोग, थाना कविनगर पर चोरी से सम्बन्धित 01 अभियोग तथा थाना विजयनगर पर आर्म्स एक्ट से सम्बन्धित 01 अभियोग पंजीकृत हैं। कुल 09 अभियोग पंजीकृत हैं।
- गिरफ्तार अभियुक्त सलमान उर्फ लाखन पुत्र इस्लामुद्दीन उपरोक्त के विरुद्ध थाना लिंक रोड़ पर लूट व आर्म्स एक्ट से सम्बन्धित 03 अभियोग, थाना इन्दिरापुरम पर एनडीपीएस एक्ट से सम्बन्धित 01 अभियोग तथा थाना साहिबाबाद व विजयनगर पर आर्म्स एक्ट व चोरी के सामान की बरामदगी से सम्बन्धित 02-02 अभियोग पंजीकृत हैं। कुल 08 अभियोग पंजीकृत हैं।

<u>गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम</u>

थाना लिंक रोड पुलिस टीम